न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 122 / 2024 — निर्णय दिनांक 19.11.2024

जीसीएमएस नम्बर 2024 / 257

अगरचन्द पुत्र हीरनाथ जाति सिद्ध निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ 2. डूंगरनाथ पुत्र हीरनाथ जाति सिद्ध निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 3. पाना पत्नी स्व. हीरनाथ जाति सिद्ध निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 4. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (पुराना नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा पुनरासर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री मोहननाथ सिद्ध अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 ओर से

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तूत है कि वादी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 901 क्षेत्रफल 13.3400 हैक्टेयर बारानी वाके रोही ग्राम पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है जिसमें वादी का 1 / 3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अवस्थित है। वादी के शैक्षणिक दस्तावेज यथा 10वीं की अंकतालिका, पहचान एवं निवास संबंधित दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में वादी का सही एवं शुद्ध नाम अगर चन्द अंकित चला आ रहा है । वादगत खेत की खातेदारी वादी के पिता हीरनाथ के नाम दर्ज चली आ रही है। वादी के पिता हीरनाथ के स्वर्गवास के तीन माह पश्चात दिनांक 03.05.1986 को हल्का पटवारी ने गांव के ही गवाह के हस्ताक्षर से वादी के नाम अगरनाथ दर्ज कर दिया जबकि वादी के सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा सन् 1979 की अंकतालिका में वादी का नाम अगर चन्द ही दर्ज है। हल्का पटवारी ने विरास्तन इतंकाल दर्ज करते समय वादी का नाम गांव के लोगो से ही पूछताछ कर वादी का बोलता नाम अगरनाथ दर्ज कर दिया। विरास्तन इंतकाल के समय वादी के द्वारा कोई लिखित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज हल्का पटवारी को नहीं दिया गया। वादी को वादगत खेत की राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 06.06.2024 को लेने पर जानकारी हुई की वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज चला आ रहा है । वादी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशन काड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, 10वीं की अंकतालिका में वादी का नाम शुद्ध रूप में अगर चन्द ही दर्ज है। वादगत खेत खसरा नम्बर 901 तादादी 13.34 हैक्टेयर रोही ग्राम पुनरासर पर 1 / 3 संयुक्त हिस्सा की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग वादी का चला आ रहा है। वादगत खसरा की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का अपना सही नाम अगर चन्द अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है । वादगत भूमि में वादी को गलत नाम अगरनाथ व जाति सिद्ध की जगह अशुद्ध रूप में सिध अंकित होने के कारण वादी को कृषि सुधार हेतु कई तरह की परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खसरा भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अ[illegible] वादी दिनांक 07.06.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम अग[illegible] जिसकी जगह लिपिकिय भूलवंश अगरनाथ अंकित हो गया है, इसलिए अ[illegible] जाति सिध की जगह सिद्ध अंकित किया जावे जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] सही जाति दर्ज करने से इन्कार कर दिया। व वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आ[illegible] बिना आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:34:11 IST
Reason: SelfAttested

के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम सही अंकित व शुद्धिकरण करना सम्भव नही है। राजस्व रिकार्ड में उक्त ससोधन होने से प्रतिवादी व गौण प्रतिवादीगण के हितो पर कोई विपरित असर नही पड़ेगा, जबकि इसके विपरित सही नाम दर्ज नही होने से वादी को अपूरणीय क्षति होगी। वादी के पास वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अगर चन्द दर्ज करवाने के लिए घोषणा की डिक्री के अलावा अन्य कोई अनुतोष नही है। वादगत खेत वादी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त होने के कारण वादी को खिलाफ प्रतिवादी वादाधार हासिल है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 07.06.2024 को वादी का वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज नही करने से वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ वादहेतू हासिल है । गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को आवश्यक पक्षकार होने की वजह से दावा में पक्षकार संयोजित किया गया है । इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जाता है तो गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादी द्वारा प्रस्तूत घोषणात्मक दावा में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर व तुरन्त अनुतोंष प्राप्ति का होने के कारण धारा 80(2)सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तूत कर न्यायालय श्रीमान की अनुमति से यह दावा प्रस्तूत किया जा रहा है। वादगत खेत रोही पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से यह दावा श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का है। जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तूत किया जा रहा है । अतः दावा प्रस्तूत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे ।

(क) कि घोषित किया जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 901 तादादी 13.3400 हैक्टेयर रोही ग्राम पुनरासर मे वादी का नाम अगरनाथ की जगह अगर चन्द घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अंकन किया जावे तथा साथ में वादी की जाति सिध की जगह शुद्ध रूप में सिद्ध अंकन किये जाने की डिक्री फरमावें ।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दोराने दावा हो जाये व भी वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलवाया जावे।

(ग) कि खर्चा मूकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलवाया जावे ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 एवं स्टेट की आरे से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश कर प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं होने के कारण नाम डिलिट किये जाने का निवेदन पर प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का नाम डिलिट किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रतिवादी एवं स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 901 तादादी 13.3400 हैक्टेयर रोही ग्राम पुनरासर मे वादी का नाम अगरनाथ की जगह अगर चन्द घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अंकन करने व वादी की जाति सिध की जगह शुद्ध रूप में सिद्ध अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:34:11 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

अगरचन्द पुत्र हीरनाथ जाति सिद्ध निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ 2. डूंगरनाथ पुत्र हीरनाथ जाति सिद्ध निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 3. पाना पत्नी स्व. हीरनाथ जाति सिद्ध निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 4. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (पुराना नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा पुनरासर।

मुकदमा नम्बर 122/2024

दावा बाबतः घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांकः19.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री मोहननाथ सिद्ध अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व के.के. पुरोहित प्रतिवादी संख्या 2 एवं पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नम्बर 901 तादादी 13.3400 हैक्टेयर रोही ग्राम पुनरासर मे वादी का नाम अगरनाथ की जगह अगर चन्द घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अंकन करने व वादी की जाति सिघ की जगह शुद्ध रूप में सिद्ध अंकन किये जाने का आदे□ा दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 19 माह 11 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ(बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:34:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ(बीकानेर)